



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi

एसोशिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

Associate Professor & Public Information Officer

27/2022-23/2034/86

दिनांक : 19/12/2022

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 23.09.2022 का आवेदन (कार्यालय में दिनांक 01.10.2022 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
1	What is the process and fee of obtaining duplicate marksheet of BLIS examination of your University ?	निदेशालय में उपाधि एवं अंकतालिका की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान है- “प्रत्येक प्रमाणपत्र एवं अंकसूची खो जाने की स्थिति में उनकी प्रतिलिपि पुनः प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक पुलिस दस्तावेजों (एफआईआर की प्रतिलिपि) सहित क्रमशः रु. 500/- रु. 200/- के मांगपत्र के साथ निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय के नाम पूर्व प्रक्रिया की भांति” भेजे। BLIS की अंकतालिका की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु रु. 200/- (दो सौ रुपये मात्र) का मांगपत्र निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय के पक्ष में वर्धा में देय उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न भेजे।
2	What is the process and fee of obtaining the original certificate of the said examination?	3. छात्र को जारी किए गए सभी मार्कशीट की प्रतियों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। 4. 2016 से पहले पजीकृत होने पर छात्र को 250/- का शुल्क देय होगा।

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र

फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(शंभू जोशी)
19/12/2022